न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2023
(GCMS 2023/60)(21230680269l912)

श्री नत्थुराम पुत्र श्री गुरदयाल राम जाति कुम्हार निवासी बनवाली हाल 7–एफ–13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

बनाम

प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नत्थूराम वर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 3007 दिनांक 30.11.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को अग्रेषित किया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नत्थूराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

प्रार्थी ने रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2021 प्रस्तुत किया था, जो रजि0 डाक क्रमांक आर आर 310/220 दिनांक 08.06.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी ने चक 11 बीएनडब्ल्यू गांव बनवाली तहसील सादुलशहर के ... 12/125 मु0 नं. 63 के किला 1 से 5 व 16 ... खाता (पैतृक कृषि भूमि) की कृषि भूमि में ... टाली के पेड काटना चाहते थे, जिसे रोकने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2021 दिया था, इस प्रार्थना पत्र की प्रति व इस पर क्या कार्यवाही हेतु उसकी फोटो प्रति देने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 12(11)( )राजस्व(आरटीआई)/2022/8023 दिनांक 30.12.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :

क्र.सं.	चाही गई सूचना	प्रतिउत्तर
01	प्रार्थी ने रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2021 प्रस्तुत किया था, जो रजि0 डाक क्रमांक आर आर 310/220 दिनांक 08.06.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी ने चक 11 बीएनडब्ल्यू गांव बनवाली तहसील सादुलशहर के पत्थर नं. 12/125 मु0 नं. 63 के किला 1 से 5 व 16 से 25 की प्रार्थी के मुस्तरका खाता (पैतृक कृषि भूमि) की कृषि भूमि में प्रार्थी के भाई हरे टाली के पेड काटना चाहते थे, जिसे रोकने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2021 दिया था, इस प्रार्थना पत्र की प्रति व इस पर क्या कार्यवाही हेतु उसकी फोटो प्रति देने की कृपा करे	आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2021 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ12 (08)()राजस्व/2021 /4065 दिनांक 14.06.2021 को नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर को प्रेषित कर दी गई थी। उक्त पत्र एवं आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2021 की छायाप्रति संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 12(11)( )राजस्व(आरटीआई)/2022/3480 दिनांक 14.07.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी श्री नत्थूराम वर्मा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2022 के सन्दर्भ में लेख है कि आवेदन द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ12(11)()राजस्व(आरटीआई)/2022/8023 दिनांक 30.12.2022 से प्रार्थी को निःशुल्क सूचना प्रेषित कर दी गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रार्थी को प्रेषित सूचना पत्र क्रमांक एफ12(11)()राजस्व (आरटीआई)/2022/8023 दिनांक 30.12.2022 एवं संलग्नकों की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे चीजे के तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर **द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:09 IST
Reason: SelfAttested